संख्या-107/2015/आर-3238/26-3-2015-रिट(28)/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28 सितम्बर 2015

विषयः- स्पेशल अपील संख्या-581/2014 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम स्वामी विवेकानन्द ला कालेज, लखनऊ के साथ कनेक्ट स्पेशल अपील संख्या-54/2015 तथा अवमाननावाद संख्या-1711/2015 केशव पालीटेक्निक मुज्जफरनगर बनाम श्री सुनील कुमार, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक-27.08.2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2430/स.क./शिक्षा-अ/15-16, दिनांक-23.09.2015 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त अवमानना याचिका में पारित आदेश दिनांक-27.08.2015 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्था की वर्ष-2013-14 की अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि रूपये-17.36/-लाख (रूपये सत्तरह लाख छत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ.संख्या-107/2015/3238(1)/26-3-2015 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मुज्जफरनगर।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7. गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in